न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 19/2020 निर्णय दिनांक –11.06.2020

संजय पिता मांगीलाल जी शुक्ला जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

– प्रार्थी

//बनाम//

1. श्री छगन पिता घीसु जाति नायक उम्र वयस्क निवासी चांदखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. श्री भेरूलाल पिता लक्ष्मीनारायण जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. श्री चुन्नी लाल पिता घीसा जाति चमार उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

–विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट</u>

<u>आदेश</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा चान्दखेडा पटवार हल्का रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 154 की आराजी नं0 247 रकवा 1.2600 हेक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा चान्दखेडा पटवार हल्का रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 154 की आराजी नं0 247 रकवा 1.2600 हेक्टेयर की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 11.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.04 15:47:39 IST
Reason: SelfAttested